न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 51/2020

वादीगणबनाम

1. एम. बालाजी पुत्र मोहनलाल
2. एम. प्रकाशचन्द्र भाटी पुत्र मोहनलाल जातिगण घाची निवासीगण रूपावास तह0 सोजत जिला–पाली।

प्रतिवादीगण

1. कुनाराम पुत्र जसाराम जाति घाची निवासी रूपावास तह0 सोजत जिला–पाली।
2. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र दवे, श्री सुनील दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 21.11.2022

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम रूपावास, पटवार हल्का रूपावास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाड़वास तहसील सोजत में वादीगण की हक हकूक खरीदसुदा, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 570 के खसरा नंबर 1496, 1501 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.4200 हैक्टर तथा खाता संख्या 569 के खसरा नंबर 1502 रकबा 0.2900 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि को वाद पत्र के अग्र पदो में वादस्थ कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। उक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में वादीगण के दादा जसाराम की हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी तथा वादी के पिता मोहनलाल का स्वर्गवास दिनांक 29.11.1972 को हो चुका है तथा वादीगण के दादा का भी स्वर्गवास दिनांक 18.05.1996 को हो चुका है। यानि वादीगण के पिता के स्वर्गवास वादीगण के दादा के स्वर्गवास से पूर्व हो चुका था। इसलिये वादीगण के दादा ने उक्त वादस्थ कृषि भूमि में वादीगण का नाम दर्ज करवाते समय घर के लाड प्यार का नाम वादी संख्या 1 का बालकिशन पुत्र मोहनलाल एवं वादी संख्या 2 का नाम रामचन्द्र पुत्र मोहनलाल अंकित करवा दिया। जबकि वादी संख्या 1 का वास्तविक नाम एम. बालाजी पुत्र मोहनलाल एवं वादी संख्या 2 का वास्तविक नाम एम. रामचन्द्र भाटी पुत्र मोहनलाल है। वादीगण का शैक्षणिक दस्तावेजात तथा पहिचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बेचान रजिस्ट्री तथा अन्य राजस्व रेकर्ड में भी वादी संख्या 1 का नाम एम. बालाजी पुत्र मोहनलाल तथा वादी संख्या 2 का वास्तविक नाम एम. प्रकाशचन्द्र भाटी पुत्र

उप खण्ड अधिकारी

मोहनलाल दर्ज सुदा है। वादीगण के पिता मोहनलाल के बालकिशन एवं प्रकाशचन्द्र के नाम से किसी प्रकार की कोई संतान नहीं है। मोहनलाल के एकमात्र संतान एम बालाजी एवं एम प्रकाशचन्द्र भाटी ही है। इसके अलावा अन्य कोई विधिक उतराधिकारी नहीं है। बालकिशन पुत्र मोहनलाल एवं एम. बालाजी पुत्र मोहनलाल दोनो एक ही व्यक्ति है इसी प्रकार रामचन्द्र पुत्र मोहनलाल एवं एम. प्रकाशचन्द्र भाटी पुत्र मोहनलाल दोनो भी एक ही व्यक्ति है। राजस्व रेकर्ड का पर्चा लगान तैयार करते समय वादीगण के दादा जसाराम द्वारा वादीगण का लाड प्यार का नाम बालकिशन एवं रामचन्द्र दर्ज करवा दिया गया। इसलिये राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम त्रुटि एवं गलती से वादीगण का वास्तविक नाम एम बालाजी के स्थान पर बालकिशन तथा एम प्रकाशचन्द्र भाटी के स्थान पर रामचन्द्र अंकित हो गया । वादस्थ कृषि भूमि के मौके पर भी वादीगण का ही कब्जा काश्त है तथा वादीगण ही उक्त वादस्थ कृषि भूमि का उपयोग उपभोग विना किसी बाधा के खुलम खुला शारस्वत रूप से करते आ रहे है। वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सैटलमेंट पश्चात् राजस्व कर्मचारीयों द्वारा पर्चा लगान सम्वत् 2030–2033 को तैयार करते समय सद्भाविक त्रुटि व गलतीवश वादीगण का गलत नाम बालकिशन एवं रामचन्द्र अंकित कर दिया गया था। जिसकी जानकारी वादीगण द्वारा वादस्थ रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 30.01.2020 को प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का गलत इन्द्राज कर दिया। इससे पूर्व वादीगण को राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज किये जाने की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी होने पर वादीगण द्वारा नाम दुरूस्ती करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार सोजत के समक्ष पेश किया गया जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा उक्त नाम दुरूस्ती से साफ इंकार कर दिया। विनायदावा वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सैटलमेंट के पश्चात् पर्चा लगान तैयार करते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा वादीगण के वास्तविक नाम एम. बालाजी एवं एम. प्रकाशचन्द्र भाटी के स्थान पर बालकिशन एवं रामचन्द्र दर्ज हो जाने तथा जिसके संशोधन हेतु तहसीलदार सोजत द्वारा साफ इंकार कर देने से वाद कारण बमुकाम ग्राम रूपावास उत्पन्न हुआ जो वाद अन्दर म्याद पेश है। वादस्थ कृषि भूमि ग्राम रूपावास तहसील सोजत में स्थित होनें से एवं वाद खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का होने से श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा ग्राम रूपावास तहसील सोजत जिसके वर्तमान खाता संख्या 570 के खसरा नंबर 1496, 1501 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.4200 हैक्टर तथा खाता संख्या 569 के खसरा नंबर 1502 रकबा 0.2900 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीगण का नाम बालकिशन के स्थान पर एम. बालाजी एवं रामचन्द्र के स्थान पर एम. प्रकाशचन्द्र भाटी के नाम से खातेदार घोषित किया जाने की ईश्तदुआ की है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये।

प्रतिवादी संख्या 1 ने इकवालिया जवाव पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र के पद संख्या 1 से 4 सही होने से स्वीकार है तथा वादी का यह लिखना सही है कि वालकिशन एवं एम. वालाजी दोनो एक ही व्यक्ति है तथा रामचन्द्र एवं एम. प्रकाशचन्द्र भाटी दोनों एक ही नाम के व्यक्ति है दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है। वादस्थ कृषि भूमि का मै स्वयं रेकर्ड खातेदार हूं तथा वादस्थ कृषि भूमि पर एम. वालाजी तथा एम. प्रकाशचन्द्र भाटी का ही कब्जा काश्त आया हुआ स्थित है यदि राजस्व रेकर्ड में वालकिशन के स्थान पर एम. वालाजी तथा रामचन्द्र के स्थान पर एम. प्रकाशचन्द्र भाटी संशोधित कर खातेदारी घोषणा की जाती है तो मुझे किसी प्रकार का उज्र एतराज नहीं है। आज मैं स्वयं न्यायालय में व्यक्तिशः उपस्थित हुआ हूं तथा वादी द्वारा प्रस्तुत किये गए वादपत्र को स्वीकार करता हूँ।

ईकवालिया जवाव दावा पेश होने तथा कोई प्रतिरोधात्मक टिप्पणी नही होने से तनकियात कायमी की आवश्यक प्रतित नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। अधिवक्ता वादीगण ने शहादत वादीगण के मुख्य परीक्षण हेतु वादी स्वयं के तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर वादी स्वयं के वयान पीडब्ल्यु–1 तथा पीडब्ल्यु–1 कलमवद्ध करवाये गए। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा वेचान रजिस्ट्री दिनांक 08.06.1993 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 01 एवं जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 01 ए है, जिसमें वादी संख्या 01 एम वालाजी का नाम इसी अनुरुप दर्ज है। ग्राम रुपावास के वर्तमान खसरा नम्वर 1496 व 1501 की जमावन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 02 है, ग्राम रुपावास के खसरा नम्वर 1502 की वर्तमान जमावन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 03 है, ग्राम रुपावास के खाता संख्या 55 की जमावन्दी प्रदर्श 04 है, ग्राम रुपावास के पर्चा खतौनी खसरा नम्वर 1502 व 1506 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 05 है, ग्राम रुपावास के खसरा नम्वर 1496, 1500, 1501 की प्रर्चा खतौनी की प्रमाणित प्रलितिपि प्रदर्श 06 है, वादस्थ भूमि के खसरा मिलान की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 07 है, वादस्थ भूमि ग्राम रुपावास की खतौनी वन्दोवस्त जमावन्दी सम्वत 2010 से 2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–8 है, इसी प्रकार खतौनी वन्दोवस्त ग्राम रुपावास प्रदर्श –9 है, जमावन्दी सम्वत 2018 से 21 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श – 10 व 11 है, इसी प्रकार जमावन्दी सम्वत 2022 से 2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श – 12 एवं 13 है, वादस्थ भूमि के जमावन्दी सम्वत 2026 से 2029 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–14 व 15 है। वादीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श –16 तथा इसी छाया प्रति प्रदर्श 16 ए है, वादीगण के दादा जस्सा राम पुत्र सालगराम का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श –17 व इसी छाया प्रति प्रदर्श 17 ए है, जारी आज्ञा पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श – 18 है, वादी संख्या 01 का असल मूल निवास प्रमाण पत्र प्रदर्श–19 व इसकी छाया प्रति

उप खण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज

प्रदर्श 19 ए है, उपभौक्ता प्रमाण पत्र प्रदर्श 20 है जिसकी छाया प्रति 20 ए है, ग्राम रूपावास में वादी संख्या 01 के रहवासी मकान में विद्युत विभाग द्वारा जारी विद्युत बिल मूल प्रदर्श–21 है जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 21 ए है, वादी संख्या का मूल आधार कार्ड प्रदर्श – 23 है जिसकी छाया प्रति 23 ए है, स्वयं का पैन कार्ड असल 24 व इसकी फोटो प्रति 24 ए है, वादी संख्या 02 का मूल आधार कार्ड प्रदर्श – 25 जिसकी छाया प्रति 25 ए है, मूल निवास प्रमाण पत्र वादी संख्या 02 का प्रदर्श –26 जिसकी छाया प्रति 26 ए है, बैंक पासबुक मूल प्रदर्श 27 जिसकी छाया प्रति 27 ए है, मूल पैन कार्ड प्रदर्श 28 जिसकी छाया प्रति 28 ए है को प्रदर्शित करवाया जिरह प्रतिवादी शुन्य रही ।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि मेरे पक्षकारों के दादा / पिता द्वारा वादीगण का घरेलु नाम लाड प्यार से रामचन्द्र व बालकिशन होने से राजस्व रेकर्ड में भी उक्त नाम ही दर्ज करवा दिया गया था। जबकि वास्तविकता में वादीसंख्या 01 का नाम एम बालाजी व वादी संख्या 02 का नाम एम प्रकाशचन्द्र भाटी है। वादी गण के अन्य समस्त लोक दस्तावेजों में भी यही नाम दर्ज है। वादीगण उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में भी अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जो कि विधिअनुरूप होने से दुरूस्त किए जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत वादपत्र, शपथ पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेज, ईकबालिया जबाब दावा का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि वादी गण एम. बालाजी तथा एम प्रकाशचन्द्र भाटीके नाम से ही जाना पहचाना जाता है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम भी यही होने से अन्य लोकदस्तावजों व पंजीयन दस्तावेज प्रदर्श –01 में वादीगण का एम. बालाजी व एम प्रकाशचन्द्रभाटी दर्ज शुदा है। लिहाजा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो, ईकबालिया जबाब दावा से वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम रूपावास, पटवार हल्का रूपावास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाड़वास तहसील सोजत में वादीगण की हक हकूक खरीदसुदा, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 570 के खसरा नंबर 1496, 1501 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.4200 हैक्टर तथा खाता संख्या 569 के खसरा नंबर 1502 रकबा 0.2900 हैक्टर की कृषि भूमि में दर्ज बालकिशन पुत्र मोहनलाल जाति घांची निवासी रूपावास, रामचन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति घांची निवासी रूपावास के स्थान पर एम बालाजी पुत्र मोहनलाल जाति घांची निवासी रूपावास, एम प्रकाशचन्द्र भाटी पुत्र मोहनलाल

उप खंड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

जाति घांची निवासी रूपावास को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तदानुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त इन्द्राज किए जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत